

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक A/5080 /

जबलपुर, दिनांक 05/07/2024

श्री फूलचन्द्र यादव, अशर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इन्दौर को "रविन्द्रनाथ टैगोर, विश्वविद्यालय, रायसेन म.प्र. से मान्यता प्राप्त ए.बी.सी एकेडमी, इंदौर से डी.सी.ए. (डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन) एक वर्षीय पाठ्यक्रम सत्र-2024-2025" में स्वाध्यायी छात्र के रूप में अध्ययन करने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर स्वतः कार्य पर उपस्थित होना होगा, बिना पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।
2. यह कि, वे कार्यालयीन समय में अध्ययन नहीं करेंगे तथा शासकीय कार्य को लगन से करेंगे। यदि यह पाया गया कि वह शासकीय कार्य करने में किसी भी प्रकार की लापरवाही करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त कर दी जावेगी।
3. यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा यदि अपने कर्तव्यस्थल पर अनुपस्थित पाये गये अथवा अध्ययनरत् पाये गये तो यह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए अध्ययन हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।

(मनोज कुमार श्रीवास्तव)  
रजिस्ट्रार जनरल

जबलपुर, दिनांक 05/07/2024

पृष्ठांकन क्रमांक A/5081 /  
प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर, की ओर उनके स्थापना के ज्ञापन क्रमांक प्रशा./167-ए/भाग/1528 इंदौर, दिनांक 04.06.2024 के संदर्भ में,
  2. रजिस्ट्रार(प्रशा.) / कम-पी.पी.एस, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
  3. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर / इंदौर,
  4. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर(जुडिशियल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
  5. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर(न्या.)(स्था.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
  6. श्री फूलचन्द्र यादव, अशर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(दीपक बंसल)  
रजिस्ट्रार (प्रशासन)